समक्ष: गोकल चंद मित्तल व *अमरजीत चौंधरी, माननीय न्यायमूर्ति*

के. एस. यादव और एक अन्य - *याचिकाकर्ता,*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, - *उत्तरदाता।*

सिविल रिट याचिका सं. 1990 *का* 3583।

29 मई, 1990।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, *1954-अनुच्छेद 4 और 8- भारतीय प्रशासनिक सेवा (*चयन द्वारा नियुक्ति) *विनियम, 1956, यथा संशोधित द्वितीय संशोधन विनियम,* 1989 *3-* 1954 *के नियमों का नियम* 8(2)*-उपबंधों की प्रकृति-नियम निर्देशिका है- भारतीय प्रशासनिक सेवा में गैर-राज्य सिविल सेवा का चयन।*

1954 के नियमों के नियम 8 के प्रावधानों पर बारीकी से नजर डालने से पता चलता है कि राज्य सिविल सेवा के सदस्यों के लिए, आईएएस में नियुक्ति एक पदोन्नति का अवसर है, जबकि गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के लिए, *यह केवल विशेष परिस्थितियों* में है कि केंद्र सरकार राज्य के मामलों के संबंध में उत्कृष्ट क्षमता और योग्यता वाले किसी भी गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारी को आई.ए.एस. में भर्ती कर सकती है। मूल क्षमता में राजपत्रित पद धारण करना। ऊपर उल्लिखित शब्द इस मामले को सुलझाने और हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं कि यदि राज्य सरकार ने नियमों के अनुपालन में आईएएस को राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की सेवाओं की पेशकश करने का निर्णय लिया है, तो गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की सिफारिश न करने के लिए राज्य सरकार की कार्रवाई को रोकने का कोई कारण नहीं है। भेदभावपूर्ण। अन्यथा भी, 1954 के नियमों के नियम 8 (2) के प्रावधान केवल निर्देशिका हैं और अनिवार्य नहीं हैं। यह केन्द्र सरकार का दायित्व नहीं है कि वह उस व्यक्ति की आईएएस में भर्ती

करे जो राज्य सिविल सेवा के सदस्य नहीं हैं।

(पैरा 8 और 9)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका *में* प्रार्थना की गई है कि मामले का रिकॉर्ड तलब किया जाए और उस पर विचार करने के बाद:

(1) *पत्र अनुलग्नक पी-1 के अनुसरण में लिए गए निर्णय को रद्द करने के आदेश को रिकॉर्ड पर रखने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाए और इसका अवलोकन करने के बाद, इसे रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की रिट जारी की जाए ;*

(2) *अनुलग्नक* पी-1 *के तहत उत्तरदाताओं को गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारी में से आईएएस कैडर के दो पदों को भरने का निर्देश देते हुए एक रिट जारी* करें,—

(3) अनुलग्नक पी-1 *के आदेश के अनुसरण में आईएएस कैडर में पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विचार करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए;*

(4) *गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के लिए आरक्षित* दो *पदों के लिए राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के नामों की सिफारिश करने से उत्तरदाताओं को रोकते हुए निषेध की रिट जारी करें;*

(5) *कोई अन्य आदेश, रिट या निर्देश जारी करना जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे;*

(6) *प्रस्ताव की नोटिस की अग्रिम प्रतियां और अनुबंध पी -1 की प्रमाणित प्रति दाखिल करना कृपया हटा दिया जाए;*

(7) *इस याचिका की लागत पेटिटी आई ओनर्स के पक्ष में दी जाए।*

यह भी प्रार्थना की जाती है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे राज्य सरकार को पहले

से की गई सिफारिशों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं का भी साक्षात्कार करें या वैकल्पिक रूप से 24 मार्च, 1990 को आयोजित होने वाले साक्षात्कार पर रोक लगाने का *आदेश दिया जाए* /

याचिकाकर्ताओं की ओर *से विनोद शर्मा, एडवोकेट।*

एस.सी. मोहनता, ए.जी.हरियाणा और राम चंदर डी.ए.जी., हरियाणा।

जे. एल. गुप्ता, सीनियर एडवोकेट और श्रीमती निर्मलजीत कौर, एडवोकेट, प्रतिवादियों के लिए /

आदेश

अमरजीय चौंधरी, जे

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा जो देश के प्रशासनिक तंत्र की रीढ़ है, में भर्ती विभिन्न तरीकों से की जाती है जैसे कि एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, किसके मूल सदस्य का चयन करके? राज्य सिविल सेवा; और चयन द्वारा, विशेष मामलों में उन व्यक्तियों में से, जो किसी राज्य के मामलों के संबंध में एक महत्वपूर्ण क्षमता में राजपत्रित पदों पर हैं और जो राज्य सिविल सेवा के सदस्य नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) को पद पर रखने के अपने प्रयास में इस रिट याचिका को स्थापित किया है, जिसमें राज्य सरकार के गैर-राज्य सिविल सेवा पदों को राज्य सिविल सेवा में स्थानांतरित करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द करने के बाद आधिकारिक प्रतिवादियों को चयन समिति के अपने नाम भेजने का निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

(2) तथ्यों को समझने के लिए आवश्यक सीमा तक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण। मुद्दा यह है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 एक पुष्टि की गई डिप्टी है

के. एस. यादव और एक अन्य *बनाम* हरियाणा राज्य और अन्य
(अमरजीत चोधरी, जे)

1 सितंबर, 1977 से प्रभावी आबकारी और कराधान आयुक्त और वर्तमान में अतिरिक्त आबकारी और कराधान आयुक्त के पद पर हैं। वह एक भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने 30 जुलाई, 1963 से 10 जनवरी, 1968 तक भारतीय सेना की सेवा की, अर्थात आपातकाल की अवधि के दौरान और सेना से रिहाई के बाद 20 जून, 1972 को शुरू में आबकारी और कराधान अधिकारी के रूप में शामिल हुए। इसके बाद, उनके द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा का लाभ दिए जाने पर, उन्हें 18 मार्च, 1983 से संयुक्त आबकारी और कराधान आयुक्त के रूप में पुष्टि की गई। याचिकाकर्ता नंबर 2 एक सीधी भर्ती है और शुरू में जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक के रूप में नियुक्त होने और विभिन्न पदोन्नति पदों पर पदोन्नत होने के बाद वर्तमान में अतिरिक्त निदेशक खाद्य और आपूर्ति के पद पर है। वे उन उच्चतम पदों पर होने का भी दावा करते हैं जिन पर एक गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

(3) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 (इसके बाद 1954 के नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 8 (21I) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य ने उत्कृष्ट सेवा कैरियर वाले पात्र गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के मामलों पर विचार करके आईएएस के दो पदों को भरने का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने दिनांक 22 जून, 1989 को एक परिपत्र संख्या 15/3/89-एस (एल) जारी किया, जिसकी प्रति अनुलग्नक पी-1 है, जिसमें हरियाणा राज्य के सभी वित्तीय आयुक्त और प्रशासनिक सचिवों से 24 जुलाई, 1989 तक तकनीकी सेवा के अधिकारियों सहित गैर-हरियाणा सिविल सेवा अधिकारियों के दो नामों

की सिफारिश करने के लिए कहा गया है, जिन्होंने निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया है:

(१) उत्कृष्ट योग्यता और क्षमता;

(२) जिसने राजपत्रित पदों पर राज्य सरकार में कम से कम 12 वर्षों तक काम किया हो और एक महत्वपूर्ण पद धारण किया हो; और

(३) आयु 54 वर्ष से कम होनी चाहिए।

उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने के लिए निर्धारित तिथि 1 जनवरी, 1989 थी। परिपत्र, अनुलग्नक पी-1 के अनुसरण में, याचिकाकर्ताओं के नामों की सिफारिश अन्य पात्र अधिकारियों के साथ, उनके संबंधित विभागों द्वारा प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद की गई थी, जिसे आगे हरियाणा के मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त हुआ। लेकिन अनुशंसित नामों के नामों से पहले

अधिकारियों को चयन समिति द्वारा विचार के लिए भेजा जा सकता है, नए मुख्यमंत्री को बैठाया गया था और उन्होंने भी उचित विचार-विमर्श के बाद, याचिकाकर्ताओं सहित अनुशंसित अधिकारियों के नामों को मंजूरी दे दी थी।

(4) याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राज्य सरकार ने अपने निर्णय, अनुबंध पी -1 की अचानक समीक्षा करने के बाद, याचिकाकर्ताओं और अन्य गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के नामों पर विचार नहीं करने का फैसला किया। यह राज्य सरकार की कार्रवाई है जिसे इस आधार पर तत्काल याचिका में न्यायिक जांच के अधीन किया गया है, अर्थात् राज्य सरकार अपनी पसंद के अधिकारियों को समायोजित करने के लिए

मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही है और गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है; राज्य सरकार 1954 के नियमों के नियम 8(2) के उपबंधों को लागू करने में विफल रही है जिसके परिणामस्वरूप गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है।

(5) याचिकाकर्ताओं के वकील श्री विनोद शाइमा ने भेदभाव प्रदर्शित करने के लिए सहायक तर्क देते हुए आग्रह किया कि एक बार जब राज्य सरकार ने गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों को आगे बढ़ने के लिए एक यथार्थवादी अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है और दो मुख्यमंत्रियों द्वारा संभवतः सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारियों के रूप में पाए जाने पर उनके नामों की विधिवत सिफारिश की गई है। बाद में अपने निर्णय को वापस नहीं ले सका और सरकार की यह कार्रवाई मनमानी है और इसलिए इसे जारी नहीं रखा जा सकता है।

(6) चूंकि तर्क का एक बड़ा हिस्सा राज्य सिविल सेवा और गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के आई.ए.एस में चयन के इर्द-गिर्द केंद्रित है, इसलिए यह जानने के लिए कि इस तरह का चयन कैसे और किस स्रोत से किया जाता है, विभिन्न नियमों और विनियमों के भौतिक भागों को यहां निकालना उचित होगा। 1954 के नियमों का नियम 4 आई.ए.एस. में भर्ती के तरीकों से संबंधित है। यह इस प्रकार पढ़ता है:

> *(4) सेवा में भर्ती की विधि-* (1) इन नियमों के लागू होने के बाद सेवा में भर्ती, निम्नलिखित विधियों द्वारा होगी, अर्थात् :-
>
> (a) एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा;
>
> (aa) संघ के सशस्त्र बलों के आपातकालीन कमीशन अधिकारियों

और अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों में से व्यक्तियों के चयन द्वारा, जो के 1 नवंबर, 1962 को या उसके बाद लेकिन 10 जनवरी, 1968 से पहले कमीशन प्राप्त हुए थे या जो बाद की तारीख से पहले किसी भी पूर्व-कमीशन प्रशिक्षण में शामिल हुए थे, लेकिन जिन्हें उस तारीख को या उसके बाद कमीशन किया गया था;

(b) राज्य सिविल सेवा के मूल सदस्य की पदोन्नति द्वारा;

(c) चयन द्वारा, विशेष मामलों में, उन व्यक्तियों में से, जो किसी राज्य के मामलों के संबंध में एक महत्वपूर्ण क्षमता में राजपत्रित पदों पर हैं और जो राज्य सिविल सेवा के सदस्य नहीं हैं।

(2) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सेवा में किसी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से अपनाई जाने वाली भर्ती की पद्धति या पद्धतियां, जिन्हें किसी विशेष अवधि या भर्ती के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो सकता है, और प्रत्येक पद्धति द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक अवसर पर निर्धारित की जाएगी:

बशर्ते कि जहां ऐसी कोई रिक्ति या रिक्तियां राज्य कैडर या संयुक्त कैडर से संबंधित हैं, वहां राज्य सरकार को भी वाणिज्य दूतावास दिया जाएगा।

1954 के नियमों के नियम 8 में आई.ए.एस. में पदोन्नति या चयन के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड को दर्शाया गया है। इस नियम को पुन: प्रस्तुत किया गया है:

8. राज्य और संयुक्त संवर्ग में नियुक्ति के लिए पदोन्नति या चयन द्वारा भर्ती-(1) केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य

सरकार की सिफारिशों पर और आयोग के परामर्श से और ऐसे विनियमों के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और आयोग के परामर्श से, समय-समय पर करे, राज्य सिविल सेवा के मूल सदस्यों में से एक में से पदोन्नति द्वारा सेवा व्यक्तियों का निर्माण करना, भर्ती करना।

(2) केन्द्रीय सरकार, विशेष परिस्थितियों में और संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर और आयोग के परामर्श से और ऐसे विनियमों के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और आयोग के परामर्श से, समय-समय पर, राज्य के कार्यों के संबंध में सेवारत उत्कृष्ट योग्यता और योग्यता वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, जो राज्य सिविल का सदस्य नहीं है, सेवा में भर्ती कर सकती है। उस राज्य की सेवा, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण क्षमता में राजपत्रित पद धारण करता है।

(3)(a) जहां किसी राज्य संवर्ग में कोई रिक्ति होती है जिसे इस नियम के उपबंध के अधीन भरा जाना है, उस रिक्ति को राज्य सिविल सेवा के किसी सदस्य की पदोन्नति द्वारा या, जैसा भी मामला हो, उस राज्य के कार्यों के संबंध में सेवारत किसी अन्य अधिकारी के चयन द्वारा भरा जाएगा।

(3)(b)

केंद्र सरकार ने 1954 के नियमों के नियम 8 के उप-नियम (2) के तहत

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1956 (इसके बाद 1956 विनियम के रूप में संदर्भित) और उसके विनियम 3 को तैयार किया, जिसमें आईएएस के लिए पात्रता, चयन और नियुक्ति की पात्रता, तरीके की परिकल्पना की गई थी। अधिसूचना, दिनांक 30 मार्च, 1989। द्वितीय संशोधन विनियम, 1989 द्वारा यथा संशोधित विनियम 3 निम्नानुसार है:

(3) भर्ती नियमावली के नियम 8 के उपनियम (2) में निहित उपबंध के अनुसार, राज्य सरकार समय-समय पर उन व्यक्तियों के मामलों पर विचार कर सकेगी जो राज्य सिविल सेवा से संबंधित नहीं हैं लेकिन संयुक्त संवर्ग के मामले में राज्य के कार्यों के संबंध में सेवारत हैं, जो-

(1) उत्कृष्ट योग्यता और क्षमता के हैं; और

(2) राज्य सरकार के अधीन राजपत्रित पद पर या संयुक्त संवर्ग के मामले में, संयुक्त संवर्ग का गठन करने वाली राज्य सरकारों में से किसी एक के अधीन सेवा में कम से कम 12 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो, उस पद को मूल क्षमता और उद्देश्य में धारण किया हो और सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त अधिकारियों के नाम निर्धारित किए हों:

परन्तु राज्य सरकार सामान्यतया 52 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्तियों के मामलों पर विचार नहीं करेगी। (उप-विनियमन में निर्दिष्ट सेवा की लंबाई और आयु के बारे में शर्तों को उस वर्ष के 1 जनवरी के संदर्भ में निर्धारित

किया जाएगा जिसमें व्यक्तियों के मामलों पर विचार किया जाता है।

बशर्ते कि उप-विनियमन (2) के तहत चयन समिति के विचार के लिए प्रस्तावित अधिकारियों की संख्या निम्नलिखित वर्षों के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के पांच गुना से अधिक नहीं होगी।

(7) मुख्य कानूनी मुद्दे पर कोई भी चर्चा शुरू करने से पहले, जो निश्चित रूप से एक गहरी बात है, हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि हमने याचिकाकर्ताओं की एक कमजोर शिकायत भी देखी है कि 1954, नियमों के अनुसार, नियम 8 के तहत अनुशंसित व्यक्तियों की संख्या कैडर में पद के 33-1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और उपरोक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (2) के तहत भर्ती किए गए व्यक्तियों को नहीं होना चाहिए। पदों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक। याचिकाकर्ताओं के वकील के अनुसार, उपरोक्त नियमों का इरादा यह है कि नियम 8 (1) और (2) के तहत नियुक्त व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना है ताकि अनुपात 33-1/3 प्रतिशत हो सके। इन परिसरों में, यह आग्रह किया गया था कि राज्य सरकार ने उपर्युक्त नियमों के नियम 8 (2) के प्रावधानों को लागू न करके गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है/ इसके विपरीत, हरियाणा राज्य और अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 3- आरपी सिंह ने एक मजबूत रुख अपनाया कि पर्याप्त संख्या में पात्र राज्य सिविल सेवा अधिकारी उपलब्ध थे, गैर-राज्य सिविल सेनडी अधिकारियों के अधिकारियों से कोई पद भरने की शायद ही कोई आवश्यकता थी। उपरोक्त स्थिति के कारण यह निर्णय किसी भी तरह से उनके अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।

अतिरिक्त प्रतिवादी के वकील श्री जवाहर लाई गुंटा ने विभिन्न प्रावधानों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिन्हें हम पहले ही ऊपर पुन: प्रस्तुत कर चुके हैं, और प्रस्तुत किया कि यह केवल केंद्र सरकार है जिसके पास व्यक्तियों के स्रोत और भरे जाने वाले पदों की संख्या तय करने की शक्ति है।

(8) इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, आरंभ में, यह ध्यान देने योग्य होगा कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत केन्द्र सरकार ने राज्यों की सरकारों के परामर्श से 1954 के नियम बनाए थे। 1954 के नियमों के नियम 8 के उप-नियम (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1956 तैयार किया। 1954 के नियमों के नियम 8 के प्रावधानों पर बारीकी से नजर डालने से पता चलता है कि राज्य सिविल सेवा के सदस्यों के लिए, आईएएस में नियुक्ति एक पदोन्नति का अवसर है, जबकि गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के लिए, *यह केवल विशेष परिस्थितियों में है* कि केंद्र सरकार आई.ए.एस. में किसी भी गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारी को भर्ती कर सकती है, जो राज्य के मामलों के संबंध में उत्कृष्ट क्षमता और योग्यता रखते हैं। मूल क्षमता में राजपत्रित पद। ऊपर दिए गए शब्द इस मामले को सुलझाने और हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि यदि प्रशासन की स्थितिजन्य मांग और आवश्यकताओं के कारण राज्य सरकार ने नियमों के सख्त अनुपालन में आईएएस को राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है, तो गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की सिफारिश न करने में राज्य सरकार की कार्रवाई को किसी भी तरह से रोकने का कोई कारण नहीं है।

भेदभावपूर्ण। इसलिए, हमें राज्य सरकार की उपर्युक्त कार्रवाई में कोई छेद नजर नहीं आता।

(9) इसके अतिरिक्त, 22 जून, 1989 के अनुलग्नक पी-1 के निर्णय के अनुसरण में उनके संबंधित विभागों द्वारा अनुशंसित याचिकाकर्ताओं के नामों पर केवल विचार किया गया था और केन्द्र सरकार को उनकी सिफारिश नहीं की गई थी। अन्यथा भी, 1954 के नियमों के नियम 8 (2) के प्रावधान केवल निर्देशिका हैं और अनिवार्य नहीं हैं। यह केन्द्र सरकार का दायित्व नहीं है कि वह उन व्यक्तियों की आईएएस में भर्ती करे जो राज्य सिविल सेवा के सदस्य नहीं हैं। इसलिए भी, याचिकाकर्ताओं की कोई वैध शिकायत नहीं है।

(10) 1954 के नियमों के नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत, जो आईएएस में भर्ती की विधि से संबंधित है, यह परिकल्पना की गई है कि भर्ती की किसी विशेष अवधि के दौरान भरे जाने वाले सेवा में किसी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से अपनाई जाने वाली भर्ती की पद्धति या विधियां, और प्रत्येक पद्धति द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक अवसर पर निर्धारित की जाएगी । तथापि, इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि जहां ऐसी कोई रिक्ति या रिक्तियां राज्य संवर्ग या संयुक्त संवर्ग से संबंधित हैं, संबंधित राज्य सरकार से *भी परामर्श किया जाएगा।* 1954 के नियमों के नियम 4 में कहीं भी राज्य सरकार को आईएएस की रिक्ति को भरने का अधिकार नहीं दिया गया है। परंतुक में केवल यह परिकल्पना की गई है कि जहां राज्य संवर्ग या संयुक्त संवर्ग से संबंधित किसी रिक्ति को भरा जाना है, वहां राज्य सरकार से परामर्श किया जाना है। उपर्युक्त चर्चा का नतीजा यह है कि

केवल केन्द्र सरकार को ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने जाने वाले व्यक्तियों के स्त्रोत और संख्या का निर्धारण करना है।

(11) जैसा कि 1954 के नियम 1 के नियम 9i के अनुसार, किसी भी राज्य या राज्यों के समूह में नियम 8 के तहत भर्ती किए गए राष्ट्रीय कर्मचारी किसी भी समय, उस राज्य या राज्यों के समूह के संबंध में संवर्ग के आइटम 1 और 2 के खिलाफ दिखाए गए पदों की संख्या के 33-1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 की अनुसूची में। लेकिन 1954 के नियमों के नियम 8 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों को 50 प्रतिशत की सीमा तक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा आग्रह किया गया है। यह उल्लेखनीय होगा कि याचिकाकर्ता गलत धारणा के तहत थे कि यह केवल राज्य सरकार है जिसे विनियमों के तहत आईएएस में चुने जाने वाले पदों के स्रोत और संख्या को तय करने की शक्ति है। विनियमों को नियमों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए न कि स्वतंत्र रूप से। विनियम गैर-राज्य सिविल सेवा के किसी भी सदस्य को कोई अधिकार प्रदान करने का इरादा नहीं रखते हैं और कुछ अन्य नियमों के विपरीत नहीं देते हैं जो उनमें अधिकार प्रदान करते हैं या बनाते हैं और विनियमों का उल्लंघन, यदि कोई हो, किसी भी गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों को इस आधार पर कार्रवाई का कोई कारण प्रस्तुत नहीं करता है कि वे उच्चतम पदों पर हैं जिस पर एक गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारी पहुंच सकता है या उन्हें किसी में पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। अधिकतम हासिल करने के बाद उच्च पद और उनके सेवा कैरियर में ठहराव होगा। विनियमों में उल्लिखित चयन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सर्वोत्तम संभावित

पदाधिकारियों का पता लगाना है। विनियम नियमों के अधीन हैं।

(12) याचिका पर ध्यान देने पर, क्या 5 ने भी 11 पर ध्यान दिया है? यह सच है कि 1954 के नियमों के नियम 8(2) की गलत व्याख्या करके राज्य सरकार अपनी पसंद के उन व्यक्तियों को नियमों के तहत परिकल्पित शर्तों में से एक के रूप में समायोजित कर रही है जो उत्कृष्ट योग्यता और योग्यता के नहीं हैं। इस आरोप में जो भी सच्चाई हो, लेकिन रिकॉर्ड में यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा आईएएस के लिए चुने जाने वाले व्यक्तियों की सिफारिशें नियमों के अनुसार सख्ती से की गई थीं और व्यक्तिगत अधिकारियों के पक्ष में किसी भी विचलन का लाइसेंस नहीं देती हैं।

(13) उपर्युक्त दृश्य में; उपर्युक्त टिप्पणियों और विचार-विमर्श में कोई दम नहीं पाया जाता है और याचिका को खारिज किया जाता है। पार्टियों को अपनी लागत वहन करनी होगी।

एस.सी.के.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मंदीप सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) Gurugram, हरियाणा